KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

Polity BPSC –2023 By : Karan Sir

संसद (The Parliament)

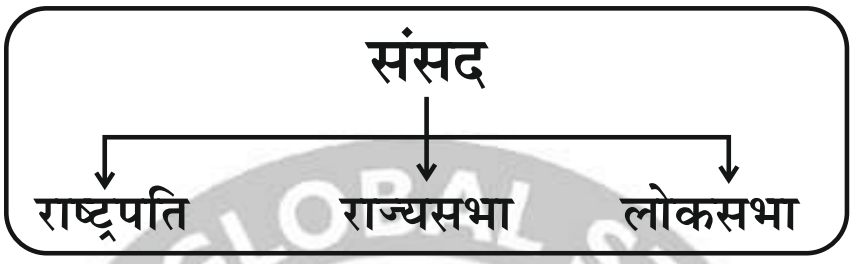

लोकसभा (The House of the People)

☛ संसद का लोकप्रिय सदन (Popular house) 'लोकसभा' कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में 'House of the People' नाम दिया गया है। इसकी संरचना मोटे तौर पर वैसी ही है, जैसी इंग्लैंड में 'हाउस ऑफ कॉमंस' (House of the commons) की। कुछ दृष्टियों से इसे अमेरिका की प्रतिनिधि सभा (House of representatives) के सामना भी माना जा सकता है। कभी-कभी इंग्लैंड की राजव्यवस्था के अनुकरण पर इसे निम्न सदन (Lower house) कह दिया जाता है, हालांकि संविधान में ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है।

लोकसभा की संरचना	संवैधानिक उपबंध	वर्तमान स्थिति
1. राज्यों के प्रतिनिधि	530	530
2. संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि	20	13
3. राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य	2	2
अधिकतम सदस्य	552	545

लोकसभा का चुनाव (Elections of Lok Sabha)

चुनाव प्रणाली (Elections System)

लोकसभा की चुनाव पद्धति जिन सिद्धांतों पर आधारित है, वे हैं-

☛ **प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Territorial Representation System):** इसका अर्थ है कि पूरे देश को भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बाँट दिया जाएगा, ताकि सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि लोकसभा में अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें।

☛ **एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (Single Member Constituencies) :** इसका अर्थ है कि लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा, एक से अधिक नहीं। कुछ देशों में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, किंतु भारत की लोकसभा के मामले में ऐसा नहीं है।

☛ **प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct Election) :** इसका अर्थ है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनता सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। अनुच्छेद 326 में स्पष्ट किया गया है कि राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्य की जनता करेगी। 1988 से पहले मतदान के लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, किंतु '61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988' के माध्यम से इसे 18 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा मतदान करने की शर्त है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो तथा उसे अनिवास, अपराध, भ्रष्ट आचरण या विकृत मस्तिष्क का होने के कारण मतदान करने के अयोग्य न ठहराया गया हो।

☛ **सबसे पहले खंभा छूने की पद्धति (First Past the Post System) :** इसका अर्थ है कि जिस प्रत्याशी को चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे, वह विजयी घोषित कर दिया जाएगा। इस पद्धति में चुनाव जीतने के लिये किसी निर्धारित कोटे तक पहुँचना आवश्यक नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि कुल वैध मतों में से सिर्फ 10 से 15 प्रतिशत मत पाने वाला प्रत्याशी ही चुनाव में विजयी हो जाए।

लोकसभा में राज्यों को आबंटित स्थान

क्र.	राज्य	स्थान	क्र.	राज्य	स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	25	15.	मणिपुर	02
2.	अरुणाचल प्रदेश	02	16.	मेघालय	02
3.	असम	14	17.	मिज़ोरम	01
4.	बिहार	40	18.	नागालैंड	01
5.	छत्तीसगढ़	11	19.	ओडिशा	21
6.	गोवा	02	20.	पंजाब	13
7.	गुजरात	26	21.	राजस्थान	25
8.	हरियाणा	10	22.	सिक्किम	01
9.	हिमाचल प्रदेश	04	23.	तमिलनाडु	39
10.	झारखंड	14	24.	तेलंगाना	17
11.	कर्नाटक	28	25.	त्रिपुरा	02
12.	केरल	20	26.	उत्तराखंड	05
13.	मध्य प्रदेश	29	27.	उत्तर प्रदेश	80
14.	महाराष्ट्र	48	28.	पश्चिम बंगाल	42

लोकसभा सदस्य के लिये अर्हताएँ

(Qualifications for Member of Lok Sabha)

☛ लोकसभा सदस्य बनने के लिये निम्नलिखित अर्हताओं का होना आवश्यक है–

- ❑ उसे भारत का नागरिक होना चाहिये।
- ❑ वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- ❑ भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। (संसद द्वारा निर्धारित कोई पद या मंत्री पद को छोड़कर)।
- ❑ वह विकृतचित्त और दिवालिया घोषित न हुआ हो।
- ❑ किसी अपराध के लिये 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा नहीं हुई हो।
- ❑ यदि वह आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ रहा है तो उसे उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना अनिवार्य है।

लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य

(Powers and Functions of Lok Sabka)

☛ लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन (Popular house) है। संसदीय प्रणाली में यह सिद्धांत स्वीकृत है कि कानून बनाने और प्रशासन चलाने के मामले में लोकप्रिय सदन को अंतिम शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। इंग्लैंड के 'हाउस ऑफ कॉमंस' की तरह भारत में भी लोकसभा के पास दूसरे सदन की तुलना में ज्यादा शक्तियाँ हैं। लोकसभा की प्रमुख शक्तियाँ निम्नलिखित हैं–

विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

☛ लोकसभा की कानून निर्माण से संबंधित शक्तियाँ इस प्रकार हैं– लोकसभा प्राय: सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में राज्यसभा के समान या उससे ज्यादा शक्तियाँ रखती है। धन विधेयक (अनुच्छेद 110) तथा वित्तीय विधेयक (प्रकार-1) सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं और राज्यसभा की शक्तियाँ इन मामलों में काफी कम हैं। संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में दोनों सदन बराबर हैं, किंतु व्यावहारिक तौर पर ऐसे विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जाते हैं।

☛ किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाने पर संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर शेष विधेयकों के मामले में लागू होता है। संयुक्त बैठक में लोकसभा की स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या तो अधिक होती ही है, साथ ही संयुक्त बैठक का संचालन भी लोकसभा अध्यक्ष के हाथों में होता है।

कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति

(Powers of Controlling the Executive)

☛ कार्यपालिका अर्थात् सरकार पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद् उसी समय तक कार्य कर सकती है, जब तक उसे लोकसभा का विश्वास हासिल हो।

वित्तीय शक्तियाँ

(Financial Powers)

☛ वित्तीय मामलों में लोकसभा के पास अत्यधिक शक्तियाँ हैं। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं और उनके पारित होने में भी लोकसभा की प्रभावी भूमिका है, जबकि राज्यसभा को ना भूमिका नाममात्र की है। बजट भी लोकसभा में ही पारित होता है, उसमें राज्यसभा की भूमिका नगण्य होती है।

अन्य शक्तियाँ तथा कार्य (Other Powers and Functions)

☛ लोकसभा कई अन्य कार्य भी करती है, जो इस प्रकार हैं-

- ❑ यह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है तथा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।
- ❑ यदि राज्यसभा उपराष्ट्रपति (अर्थात् अपने सभापति) को पद से हटाने के लिये प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा के अनुमोदन से ही उसे हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी होती है।
- ❑ सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिये भी लोकसभा की सहमति जरूरी है।

लोकसभा की अवधि (Term of Lok Sabha)

☛ लोकसभा की अवधि इंग्लैंड के 'हाउस ऑफ कॉमन्स' की तरह 5 वर्ष की है। पाँच वर्षों के कार्यकाल की गणना लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो वह पाँच वर्ष से पहले भी लोकसभा का विघटन कर सकता है। यहाँ राष्ट्रपति के उचित समझने का वास्तविक अर्थ मंत्रिपरिषद की ऐसी राय होने से है अर्थात् व्यावहारिक तौर पर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद को यह अधिकार है कि वह पाँच वर्ष से पूर्व ही लोकसभा का विघटन करा सके। ऐसा प्रायः दो कारणों से किया जा सकता है-

- ❑ यदि लोकसभा में कोई भी दल या गठबंधन स्थिर सरकार न दे पा रहा हो और नया चुनाव कराना जरूरी हो जाए।
- ❑ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाएँ कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र से नया जनादेश लेने की जरूरत महसूस हो।

अभी तक की लोकसभाएँ			
लोकसभा	**अवधि**	**लोकसभा**	**अवधि**
पहली	1952-1957	दसवीं	1991-1996
दूसरी	1957-1962	ग्यारहवीं	1996-1998
तीसरी	1962-1967	बारहवीं	1998-1999
चौथी	1967-1971	तेरहवीं	1999-2004
पाँचवीं	1971-1977	चौदहवीं	2004-2009
छठी	1977-1984	पंद्रहवीं	2009-2014
सातवीं	1980-1984	सोलहवीं	2014-2019
आठवीं	1984-1989	सत्रहवीं	2019-वर्तमान
नौवीं	1989-1991		

लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of the Lok Sabha)

☛ लोकसभा के दो प्रमुख अधिकारी हैं- अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक इनसे संबंधित प्रावधान दिये गए हैं। इन दोनों के अलावा एक पैनल भी नियुक्त किया जाता है, जो आवश्यकता पड़ने पर इन अधिकारियों के कर्तव्यों का निष्पादन करता है।

लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष को अपने में से ही चुनते हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा का सभापति (अर्थात् उपराष्ट्रपति) राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, किंतु लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिवस पर लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है।

लोकसभा अध्यक्ष को अपना पद सँभालने के लिये न तो कोई शपथ (Oath) लेनी पड़ती है और न ही कोई प्रतिज्ञा (Affirmation) करनी पड़ती है। संविधान की तीसरी अनुसूची में उनसे संबंधित किसी भी शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख नहीं है। वह लोकसभा का सदस्य होने के नाते ही शपथ लेता है, अध्यक्ष होने के नाते अलग से कोई शपथ नहीं लेता।

यदि कभी लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वाह करता है। यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो लोकसभा का ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे, इस पद का निर्वाह करता है। [अनुच्छेद 95(1)]

पदावधि तथा हटाए जाने की प्रक्रिया

Term and Procedure of Removal)

लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि अलग निर्धारित नहीं है। साधारण स्थितियों में वह अपने पद पर तब तक बना रहता है, श्जब तक लोकसभा का विघटन नहीं होता है, किंतु कुछ ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं, जब वह लोकसभा की अवधि के दौरान ही अपने पद से मुक्त हो जाए। ऐसी स्थितियाँ संविधान के अनुच्छेद 94 में बताई गई हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- ❑ यदि वह लोकसभा का सदस्य न रहे (जैसे, यदि उसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाए)।
- ❑ यदि वह स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे। इस्तीफा देने का तरीका यह है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना इस्तीफा दे सकता है।
- ❑ यदि लोकसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके उन्हें उनके पद से हटा दे।
- ❑ इस संबंध में एक नियम यह भी है कि यदि अध्यक्ष हटाने के लिये संकल्प प्रस्तावित किया जाना है तो इस आशय की सूचना कम-से-कम 14 दिन पहले दी जानी जरूरी है।

लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कार्य

(Powers and Functons of Lok Sabha Speaker)

लोकसभा अध्यक्ष को शक्तियाँ सिर्फ संविधान से प्राप्त नहीं होतीं बल्कि संसदीय परंपराओं तथा लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन नियमों से भी प्राप्त होती हैं। उसके कर्तव्य भी इन तीनों स्रोतों से निर्धारित होते हैं। अध्यक्ष की प्रमुख शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार हैं-

- उसका प्राथमिक कार्य लोकसभा की बैठकों का संचालन करना तथा कार्यवाही को व्यवस्थित व नियंत्रित करना है। संचालन संबंधी किसी भी संशय या मतभेद की अवस्था में उसका निर्णय अंतिम होता है।
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित करने का दायित्व लोकसभा अध्यक्ष का ही है। इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होता है।
- यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध हो जाने के कारण दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है।
- यदि किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो वह निर्णायक मत (Casting vote) देता है, जिससे गतिरोध खत्म होता है।
- 10वीं अनुसूची अर्थात् दल-बदल विरोधी कानून के तहत उसे यह शक्ति दी गई है कि लोकसभा के किसी सदस्य के संबंध में दल-बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निरर्हता के प्रश्न पर फैसला करे। 10वीं अनुसूची के अनुसार इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, हालाँकि 1992 में 'किहोत होलोहन बनाम जचिल्लू' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है। कि लोकसभा की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।
- अध्यक्ष तय करता है कि किसी सदस्य को सदन में बोलने का मौका देना है या नहीं और यदि देना है तो कितनी अवधि के लिये।
- वह लोकसभा की संसदीय समितियों पर नियंत्रण रखता है एवं सभी समितियों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। कुछ समितियों में वह स्वयं भी शामिल होता है, जैसे-कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति इन समितियों में वह स्वयं ही अध्यक्ष की भूमिका में होता है।
- लोकसभा के सदस्यों तथा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और लोकसभा के परिसर की सुरक्षा आदि के संबंध में अध्यक्ष को पूर्ण शक्ति प्राप्त है।
- वह लोकसभा की बैठकों के लिये दिन तथा समय निर्धारित करता है और कार्य सूची तथा उसके विषयों का क्रम भी निश्चित करता है।
- लोकसभा की बैठक के लिये जरूरी है कि कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम 1 / 10 सदस्य उपस्थित हों। यदि यह गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है कि वह बैठक को तब तक के लिये स्थगित कर दे, जब तक गणपूर्ति न हो जाए।

लोकसभा का उपाध्यक्ष

(Deputy Speaker of Lok Sabha)

लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में प्राय: वही बातें लागू होती हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष के मामले में। जब अध्यक्ष को चुन लिया जाता है तो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर लोकसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उसकी अवधि भी सदन के जीवन पर्यंत होती है और उसे भी उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिन आधारों पर अध्यक्ष को। जब वह अध्यक्ष की भूमिका में होता है तो उसे वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो कि अध्यक्ष को दी गई हैं।

हटाए जाने की प्रक्रिया (Procedure of Removal)

जिस प्रक्रिया से लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है, ठीक वही प्रक्रिया उपाध्यक्ष को हटाने के लिये अपनाई जाती है। उपाध्यक्ष सदन के जीवन-पर्यंत अपना पद धारण करता है। निम्नलिखित तीन स्थितियों द्वारा उपाध्यक्ष अपना पद छोड़ सकता है-

लोकसभा उपाध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ

(Functions and Powers of Deputy Speaker of Lok Sabha)

लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही उपाध्यक्ष की कार्य व शक्तियाँ हैं जो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या उसके पद रिक्त होने पर प्रभावी हो जाते हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ (Subordinate) नहीं होता क्योंकि उसका उत्तरदायित्व लोकसभा अध्यक्ष के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति होता है। इनके कार्यों एवं शक्तियों को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं-

- जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब उपाध्यक्ष उनके कार्यों को करता है।
- सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष के रूप में काम करता है।

☞ **नोट:** उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में उपाध्यक्ष अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है।

- ❑ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है।
- ❑ उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है। जब भी उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है।
- ❑ अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है, तब वह पहली वार मत नहीं दे सकता। यदि मत बराबर हो जाए तब वह निर्णायक मत दे सकता है।

☞ **नोट:** जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन नहीं होगा, हालाँकि उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार होता है।

लोकसभा अध्यक्ष		
	नाम	**कार्यकाल**
1.	गणेश वासुदेव मावलंकर	1952-1956 (निधन)
2.	एम.ए. आयंगर	1956-1962
3.	हुकुम सिंह	1962-1967
4.	नीलम संजीव रेड्डी	1967-1969 (त्यागपत्र)
5.	डॉ. गुरदयाल सिंह ढिल्लो	1969-1975 (त्यागपत्र)
6.	बलीराम भगत	1976-1977
7.	नीलम संजीव रेड्डी	1977 (त्यागपत्र)
8.	के.एस. हेगड़े	1977-1980
9.	डॉ. बलराम जाखड़	1980-1989
10.	रवि राय	1989-1991
11.	शिवराज वी.पाटिल	1991-1996
12.	पी.ए.संगमा	1996-1998
13.	जी.एम.सी. बालयोगी	1998-2002 (निधन)
14.	मनोहर गजानन जोशी	2002-2004
15.	सोमनाथ चटर्जी	2004-2009
16.	श्रीमती मीरा कुमार	2009-2014
17.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2014-2019
18.	ओम बिड़ला	2019 से अब तक
नोट: पी.ए. संगमा 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे और 1996 में लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे।		

संसद की सदस्यता (Membership of Parliament)

संविधान में संसद की सदस्यता के संबंध में अर्हताएँ (Qualifications) तथा अनर्हताएँ (Disqualifications) बताई गई हैं। इनके अलावा संसद को यह शक्ति भी दी गई है कि वह संविधान में वर्णित अर्हताओं या अनर्हताओं की सूची में अन्य प्रावधान जोड़ सके।

संसद की सदस्यता के लिये अर्हताएँ

(Qualifications for Membership of Parliament)

संसद सदस्यता के लिये कौन-सी अर्हताओं को धारण करना जरूरी है, इसकी सूचना दो स्रोतों से मिलती है। पहला स्रोत संविधान है, जबकि दूसरा संसद द्वारा पारित 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951'।

संविधान में वर्णित अर्हताएँ

Qualifications Described in the Constitution)

अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद का सदस्य बनने के लिये प्रत्याशी को निम्नलिखित अर्हताएँ पूरी करनी होती हैं-

- ❑ वह भारत का नागरिक हो।
- ❑ लोकसभा सदस्य बनने के लिये उसकी आयु कम-से-कम 25 वर्ष और राज्यसभा की सदस्यता के लिये न्यूनतम 30 वर्ष हो।
- ❑ उसने संविधान की तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली हो। यह शपथ किसी ऐसे व्यक्ति के सामने ली जानी चाहिये, जिसे चुनाव आयोग ने इस कार्य के लिये प्राधिकृत किया हो।
- ❑ वह ऐसी अन्य अर्हताएँ भी पूरी करता हो, जो इस संबंध में संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित की गई हों।

संसद द्वारा निर्धारित अर्हताएँ

(Qualifications Determind by the Parliament)

संसद ने 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951)' के माध्यम से कुछ अन्य अर्हताएँ भी निर्धारित की हैं, जैसे-

- ❑ संसद् सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भारत के किसी-न-किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिये। ध्यातव्य है कि 2003 से पूर्व राज्यसभा का सदस्य बनने के लिये उस राज्य विशेष का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी था, किंतु 2003 में संसद ने यह बाध्यता समाप्त कर दी थी।
- ❑ यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल समुदाय का अंग होना चाहिये, किंतु यदि उक्त वर्गों का कोई व्यक्ति किसी अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहे तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है

संसद की सदस्यता के लिये अनर्हताएँ

(Disqualifications for the Membership of Parliament)

संसद की सदस्यता से संबंधित अनर्हताओं की जानकारी तीन स्रोत से प्राप्त होती हैं। ये हैं- (i) संविधान, (ii) दल-बदल विरोधी कानू तथा (iii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 आदि। इन तीनों में वर्णित अनर्हताओं को क्रमशः देखा जा सकता है-

संविधान में वर्णित अनर्हताएँ

Disqualifications Described in the Constitution)

अनुच्छेद 102 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित में से कोई अनर्हता रखता है, संसद का सदस्य नहीं बन सकेगा।

- यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई 'लाभ का पद' धारण करता है। ध्यातव्य है कि 'लाभ का पद' शब्दावली की निश्चित परिभाषा न तो संविधान में दी गई है और नही 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' में संविधान के अनुच्छेद 102 में सिर्फ इतना कहा गया है कि संघ या राज्य के किसी मंत्री को लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा। न्यायालय ने कुछ मामलों में 'लाभ का पद' शब्दावली को स्पष्ट किया है और बताया है कि 'लाभ' का अर्थ सिर्फ प्रतीकात्मक राशि या मानदेय जैसी राशि से नहीं होगा बल्कि किसी ऐसे धन संबंधी लाभ से होगा जो वेतन या भत्तों आदि के रूप में मिला हो तथा सिर्फ कार्य संबंधी खर्चे पूरे करने तक सीमित न हो।
- यदि वह विकृत मस्तिष्क का है तथा सक्षम न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है।
- यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है।
- यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को स्वीकार किये हुए है।
- यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा संसद की सदस्यता के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' से जुड़ी निरर्हताएँ (Disqualifications Associated with Representation of People Act, 1951')

संसद ने 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' के अंतर्गत भी संसद सदस्यों के लिये कुछ निरर्हताएँ घोषित की हैं। इसके अनुसार निम्नलिखित में से कुछ भी होने पर कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के लिये अर्ह नहीं होगा-

- यदि वह व्यक्ति किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध हुआ हो।
- यदि उसे किसी अपराध में दोषी सिद्ध होने के आधार पर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली हो। इसमें निवारक निरोध के आधार पर किया गया बंदीकरण शामिल नहीं है।
- यदि वह अपने चुनावी खर्च का ब्योरा निर्धारित समय के भीतर देने में विफल रहा हो।
- यदि वह किसी ऐसे निगम में 'लाभ का पद' धारण करता हो, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत या उससे ज्यादा हो।
- यदि उसे सरकारी नौकरी से इस आधार पर बर्खास्त किया गया हो कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त था या उसमें सरकार के प्रति निष्ठा का अभाव था।
- यदि वह दहेज़, सती प्रथा, जातिगत भेदभाव या छुआछूत जैसे किसी सामाजिक अपराध के प्रचार-प्रसार या पालन में लिप्त पाया गया हो।

●●●

Kisan Cold Storage Campus, Musallahpur
KHAN SIR